

गया। प्रति द. 5, 6 व 7 को ओर पेश कर
 09 र 7 अर्थात् धारा पर वकील वारी कर।
 जवाब पेश करने हेतु अंतिम धारा था
 अतः वकील वारी को - मायहित में एक
 अंतिम अवसर दिया जाता है प्रति द. 10 को
 ओर से पूरे में जवाब पेश किया
 जा चुका है, प्रति द. 11 व 12 को ओर
 से कोई अ. - ही। अतः प्रति द. 11 व 12 को
 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर
 पत्रावली दि. 22/05/24 को पेश हो

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

दि. 22/05/24.....
 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। तलबी/जवाब/
 दस्तावेजात/साक्ष्य/बहस हेतु समय चाहिए अतः पत्रावली
 वास्ते 13/11/24 दिनांक 13/11/24 को पेश हो।
 C.P.C. 1909

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़

13/11/24
 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
 की ओ. साहब वीरे/अवकाश पर पत्रावे हैं। अत
 पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 13/11/24

07/10/24

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 13/11/24

C.No. 200/2011 उमाता धीवर

13/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपरवण्ड वकील
 वारी वाड पत्र के Not pres का अंजन का मिशन
 कि बिने वाड को आमने चवाना नहीं चाहे है
 अतः अंजन के मिशन हेतु वाड को Not pres के
 खारिज कर दिया जाये।
 हमारे हाथ वकील वारी को सुना गया। अतः वारी का
 वाड Not pres के खारिज किया जाये है पत्रावली
 पेश कर सुनाई कर नये के कर है।

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)
 13/11/2024

उपरवण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)